



प्रेस नोट साइबर सेल/थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 03.08.2021



फर्जी फेसबुक आईडी/ व्हाट्सअप एकाउन्ट बनाकर (प्रतिष्ठित व्यक्तियों, नेताओं, पुलिस, व्यवसायियों आदि) पैसे मांगने वाले साइबर अपराधियों के अन्तर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश 06 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, मोबाइल फोन व सिम कार्ड बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक अपराध, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी कैण्ट जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक आदि से फोटो, नाम, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट को चुराकर फर्जी फेसबुक आईडी/ व्हाट्सअप एकाउन्ट बनाकर फेसबुक फ्रेंड से मदद के नाम पर पैसे की मांग कर धोखाधड़ी कर विभिन्न वालेट/बैंक खातों में पैसे जमा करा लेने वाले अपराधियों की पहचान व रोकथाम हेतु साइबर क्राइम सेल टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में जनपद गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम व फोटो का प्रयोग करके उनके शुभचिन्तकों से पैसे की मांग करने एवं माओ विधायक फतेह बहादुर सिंह व एडवोकेट नीरज शाही जनपद गोरखपुर की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसे की मांग करने एवं इसी तरीके से अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों, नेताओं, पुलिस, व्यवसायियों आदि की फेसबुक आईडी हैक करने व फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मेसेंजर/व्हाट्सअप के माध्यम से पैसे की मांग करने वाले गिरोह के 06 नफर अभियुक्तगण को साइबर क्राइम सेल व थाना कैण्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाइल व सिम के साथ पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

घटना का अनावरण:-

1. मु0अ0सं0 418/21 धारा 379/419/420/465/467/468/468/471/120बी भादवि0 व 66, 66बी, 66सी, 66 डी, 74 आईटी0एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 382/21 धारा 66 डी आईटी एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 1159/20 धारा 66 आईटी एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।

अभियुक्तगण का नाम, पता -

1. अन्सार खान पुत्र वहीद खान निवासी ग्राम मडौरा थाना गोवर्धन जपनद मथुरा ।
2. साकिर खान पुत्र सहजू निवासी ग्राम मडौरा थाना गोवर्धन जपनद मथुरा ।
3. वहीद खान पुत्र जुमरत निवासी ग्राम मडौरा थाना गोवर्धन जपनद मथुरा ।
4. कासिम खान पुत्र चावसिन निवासी ग्राम मडौरा थाना गोवर्धन जपनद मथुरा ।
5. 02 नफर बाल अपचारी

बरामदगी-

05 मोबाइल सेट व 08 सिम कार्ड

Modus Operandi (घटना का तरीका)-

1- अन्सार खान पुत्र वहीद खान निवासी ग्राम मडौरा थाना गोवर्धन जपनद मथुरा ।

2- 02 नफर बाल अपचारी

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि मोबाइल नम्बर की सीरीज पकड़कर फेसबुक के लागिन पेज पर जाकर यूजर आईडी व पासवर्ड में इन्टर करते हैं, जिस आईडी का यूजर आईडी मोबाइल नम्बर तथा पासवर्ड मोबाइल नम्बर, नाम या मोबाइल नम्बर के छः अंक होते हैं फेसबुक लागिन करके हैक कर लेते हैं उसी आईडी से उनके फेसबुक फ्रेंडों से मदद के नाम पर Google pay, Phonepe, Paytm आदि के माध्यम से फर्जी वालेट/ बैंक खातों में पैसे की मांग करते हैं। नेता, पुलिस, व्यवसायी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि की प्रोफाइल फेसबुक पर सर्च करके उनके फोटो व नाम एवं फ्रेंड लिस्ट को चुराकर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके जानने वालों/शुभचिन्तकों फ्रेंड रिक्वस्ट भेजकर फ्रेंड बनने के बाद मदद के नाम पर Google pay, Phonepe, Paytm आदि के माध्यम से फर्जी वालेट/ बैंक खातों में पैसे की मांग करते हैं। नेता, पुलिस, व्यवसायी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि की प्रोफाइल फेसबुक पर सर्च करके उनके फोटो व नाम एवं कमेंट बाक्स, फ्रेंड लिस्ट आदि में से उनके फ्रेंडों के मोबाइल नम्बर जानने के बाद प्रोफाइल में फोटो व नाम को चुराकर व्हाट्सअप के डीपी पर लगाकर उनके फ्रेंडों से व्हाट्सअप चैटिंग कर मदद के नाम पर Google pay, Phonepe, Paytm आदि के

माध्यम से फर्जी वालेट/ बैंक खातो में पैसे की मांग करते है। विभिन्न कम्पनियो में जाब दिलाने/ लाटरी आदि के नाम पर लोगो से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओटीपी प्राप्त कर फर्जी डिजीटल एकाउन्ट खोलकर उसमें पैसे जमा कराते है।

3- साकिर खान पुत्र सहजू निवासी ग्राम मडौरा थाना गोवर्धन जपनद मथुरा ।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि संजय पुत्र उज्जैन निवासी देवसेरस थाना गोवर्धन जनपद मथुरा की मदद से फेसबुक आईडी हैक कर पैसे मांगने वालो को फर्जी खाता उपलब्ध कराता था तथा फर्जी खातो में आये पैसे को निकालकर 80% फेसबुक आईडी हैक करने वाले (अन्सार आदि) को व 15% संजय को तथा 5% कमीशन स्वयं रख लेता था।

4- वहीद खान पुत्र जुमरत निवासी ग्राम मडौरा थाना गोवर्धन जपनद मथुरा ।

5- कासिम खान पुत्र चावसिन निवासी ग्राम मडौरा थाना गोवर्धन जपनद मथुरा ।

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि मुजफ्फर पुत्र लखपत निवासी जीरा हीरा थाना जुहेडा जनपद भरतपुर, राजस्थान (वहीद का भांजा) जो कि ट्रक लेकर कई प्रदेशो उ0प्र0, म0प्र0, बिहार, झारखण्ड, पं0बंगाल, असम, दिल्ली आदि में आता जाता रहता है और वही से फर्जी सिम लाकर मुझे प्रति सिम रू0 500.00 के हिसाब से देता है, जिसे हम लोग फेरी के बहाने आस पास के गांव में फेसबुक आईडी/ व्हाट्सअप आदि के माध्यम से फर्जी तरीके से पैसे जमा कराने वाले गिरोह व संजय पुत्र उज्जैन निवासी देवसेरस थाना गोवर्धन जनपद मथुरा को रू0 1000.00 प्रति सिम के हिसाब से बेचता हूँ।

पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुरा
2. अति0प्र0नि0 श्री सोहन लाल राजवंशी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुरा
3. व0उ0नि0 प्रविन्द्र कुमार राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुरा
4. उ0नि0 श्री महेश कुमार चौबे, प्रभारी साइबर क्राइम सेला
5. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार चौबे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुरा
6. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुरा
7. हे0का0 नरेन्द्र उपाध्याय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुरा
8. आ0 शशिशंकर राय, साइबर क्राइम सेल ।
9. आ0 शशिकान्त जायसवाल, साइबर क्राइम सेला
10. आ0 राजेश सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुरा

सोशल नेटवर्किंग साइट्स (फेसबुक /इन्स्टाग्राम/व्हाट्सअप आदि) के प्रयोग में बरतनी जाने वाली प्रमुख साँवधानियाः

1. अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड किसी से शेयर न करे।
2. सोशल नेटवर्किंग साइट्स का पासवर्ड मोबाइल नम्बर, नाम, जन्मतिथि आदि न रखे। पासवर्ड हमेशा Strong रखे तथा पासवर्ड में एल्फावेट, न्यूमैरिक, स्पेशल करेक्टर आदि का प्रयोग अवश्य करें।
3. Two factor Authentication Option को प्रयोग करें।
4. अनजान व्यक्तियों की Friend Request Accept करने में सावधानी बरतें।
5. फेसबुक पर Profile Lock लगाकर रखें।
6. सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक /इन्स्टाग्राम आदि के माध्यम से यदि आपके परिचित द्वारा मैसेज करके पैसे की मांग की जाय तो उनसे फोन से सम्पर्क करने के उपरान्त ही लेन-देन करें।
7. अपनी निजी जानकारियाँ व फोटो पोस्ट करने में सावधानी बरते।
8. किसी भी अवांछनीय लिंक /मैसेज पर क्लिक करने से बचे।
9. आधार कार्ड, पैन कार्ड, डी0एल0, वायोडाटा, ओटीपी आदि व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर आदि सोशल साइट्स पर शेयर करने व किसी अन्जान व्यक्ति को नौकरी/ लाटरी आदि के नाम पर शेयर न करें।